राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जल पथ, गांधीनगर, जयपुर।

एफ11(3)117/मो./मबावि/आईसीडीएस/2017–18 67256-321 जयपुर दिनांक 25-4-18

समस्त जिला कलक्टर,
जिला...............................

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समस्त

विषयः– राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018 (01 मई से 30 जून 2018 तक) में राजस्व संबंधी मुकदमों/कार्यो के साथ विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के संबंध में।

सन्दर्भः–राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के अ.शा.टीप क्रमांक प. 12 (3) राज.–1/2018 दिनांक 13.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा बच्चों, माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आई.सी.डी.एस. की 6 सेवाऐं यथा– पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, संदर्भ सेवाऐं के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 दिनांक 01 मई से 30 जून 2018 तक चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें राजस्व संबंधी मुकदमें/कार्यों के साथ विभिन्न विभागों में संचालित व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को भी सम्मलित किया गया है।

राज्य के समस्त जिलों में विभागीय गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के सुचारू तथा निर्बाध क्रियान्वयन के लिए अनुरोध है कि जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण करने की समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करें:–

1. **कुपोषण से ग्रस्त बच्चो का चयन कर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वजन दिवस का आयोजन कर वजन उचाई एवं लम्बाई मापकर पंजीकरण कराना।**
   अभियान के दौरान वजन दिवस का आयोजन कर डब्ल्यू.एच.ओ ग्रोथ चार्ट के अनुसार 0–5 आयु वर्ग के अति कम वजन के बच्चों की पहचान कर कुपोषण उपचार केन्द्र पर रैफर किया जावे। एवं 0–5 वर्ष के बच्चों की लम्बाई उचाई भी मापी जावे।

2. **किशोरी बालिकाओं को आयरन गोलियों का वितरण करना।**
   शिविर के दौरान किशोरी बालिकाओं का अधिक से अधिक पंजीकृत किया जावें एवं बालिकाओं को आयरन की गोलियों का वितरण किया जावें।

3. **उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित बलॉक स्तरीय निगरानी समिति में लम्बित मानदेय कर्मियों के चयन सम्बन्धी प्रकरण निस्तारण करवावें।**

4. योजनाओं का प्रचार–प्रसार

समेकित बाल विकास सेवाएं के अन्तर्गत विभाग द्वारा बच्चों, माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आईसीडीएस की 6 सेवाएं यथा–पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जॉच, टीकाकरण, सन्दर्भ सेवाएं के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। अतः इन सेवाओं एवं विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार कराते हुए योजनाओं का लाभ जन–जन तक पहुँचाने का प्रयास करावें।

**आयुक्त**
**समेकित बाल विकास सेवाएं,**
**राजस्थान जयपुर**

**एफ11(3)117/मो./मबावि/आईसीडीएस/2017–18** 67322-672 **जयपुर,दिनांक** 25-4-18
**प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–**

1. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदया, मबावि राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1) राज. सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने स्तर से भी पूर्व तैयारी के साथ जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर विभागीय प्रकरणों में समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही शीघ्र कराते हुए **"न्याय आपके द्वार" की प्रगति रिपोर्ट संलग्न निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**
5. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपनिदेशक से समन्वय स्थापित कर अभियान में विभागीय कार्य अधिक से अधिक कराया जावें।
6. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।
7. रक्षित पत्रावली।

**संयुक्त निदेशक (मो.)**
**समेकित बाल विकास सेवाएं**
**राजस्थान, जयपुर**

राजस्थान सरकार

## समेकित बाल विकास सेवाएं

राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018

**(दिनांक 01 मई से 30 जून 2018 तक)**

**जिले का नाम** ............... **शिविर दिनांक** .......... **शिविर स्थान** .................

(1) कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का चयन कर आंगनबाडी केन्द्रों पर वजन दिवस का आयोजन कर वजन, ऊँचाई एवं लम्बाई मापकर पंजीकरण करना।

(A) WHO ग्रोथ चार्ट के अनुसार 0–5 आयु वर्ग के अति कम वजन के बच्चों की पहचान कर कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC) पर रैफर बच्चों की सूचना।

| आयु वर्ग | कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या | | सामान्य बच्चों की संख्या (हरा रंग) | | कम वजन के बच्चों की संख्या (पीला रंग) | | अति कम वजन के बच्चों की संख्या (नारंगी रंग) | | एमटीसी केन्द्रों पर रैफर किये गये अति कम वजन बच्चों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लडका | लडकी | लडका | लडकी | लडका | लडकी | लडका | लडकी | लडका | लडकी |
| 0–3 वर्ष | | | | | | | | | | |
| 3–5 वर्ष | | | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | | | |

(B) 0–5 वर्ष के बच्चों की लम्बाई/उंचाई से संबंधित सूचना

| आयु वर्ग | कुल पंजीकरण | | सामान्य बच्चों की संख्या | | नाटे (Stunted) बच्चों की संख्या | | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रैफर किये गये नाटे बच्चों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लड़का | लड़की | लड़का | लड़की | लड़का | लड़की | लड़का | लड़की |
| 0–3 वर्ष | | | | | | | | |
| 3–5 वर्ष | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | |

| (2) किशोरी बालिकाओं को आयरन गोलियो का वितरण करना। | | | |
|---|---|---|---|
| आयु वर्ग | कुल पंजीकृत बालिकाओं की संख्या | बालिकाओं की संख्या जिन्हें IFA की गोलिया दी गई | कुल वितरित आयरन गोलियों की संख्या |
| 11–14 वर्ष | | | |
| 14–18 वर्ष | | | |
| कुल | | | |

| (3) उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति में लम्बित मानदेय कर्मियों के चयन संबंधी प्रकरण निस्तारण करवाना। | | |
|---|---|---|
| कुल प्रकरणों की संख्या | निस्तारित प्रकरणों की संख्या | शेष |
| | | |